बिहार विधान सभा सचिवालय

निविदा-आमंत्रण

NIT No.-08//2022

बिहार विधान सभा डायरी-2023 की 2,500 (दो हजार पाँच सौ) प्रतियाँ एक्जयूटीव डायरी स्वीकृत नमूना के अनुरूप मुद्रित कर आपूर्त्ति करने हेतु विभिन्न इच्छुक फर्मों से कागज, बाईन्डिंग, कभर, निर्माण एवं मुद्रण से संबंधित नमूना के साथ प्रति डायरी न्यूनतम दर के साथ सीलबंद लिफाफे में निविदायें दिनांक-20.10.2022 को 3.00 बजे अपराह्न तक प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से यथानिर्धारित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

सभी प्राप्त निविदायें दिनांक-21.10.2022 को 03.00 बजे अप० में प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें सभी निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

उक्त कार्य हेतु स्वीकृत नमूना का अवलोकन तथा इससे संबंधित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सभा सचिवालय के जनसंपर्क शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा से संबंधित निर्धारित शर्त्तें

1. बिहार विधान सभा डायरी-2023 के एक पृष्ठ पर दो तिथि पंचांग भाग सहित मुद्रित होगी,
2. वर्ष 2023 एवं 2024 की दिन-पत्री के साथ बिहार विधान सभा डायरी-2023 के प्रारंभ में बिहार विधान सभा से संबंधित लगभग दस रंगीन चित्र, लगभग 80 पृष्ठ कलर तथा इसके उपरान्त लगभग 50 पृष्ठों में विविध सूचनायें मुद्रित होगी,
3. बिहार विधान सभा डायरी-2023 में कागज एवं कभर उच्च कोटि का स्वीकृत नमूना के अनुरूप होगा,
4. निविदादाता को निविदा के साथ डायरी का नमूना संलग्न करना होगा,
5. निविदा के साथ कार्यानुभव, फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
6. निविदादाता को समान प्रकृति कार्य (Similar nature of works) का अनुभव होना चाहिए। निविदा के साथ नमूना एवं कार्यदेश की प्रति संलग्न होना चाहिए।
7. निविदादाता को निविदा के साथ कागज एवं कभर के विभिन्न रंगों के रेक्सीन का नमूना (फर्म की मोहर / हस्ताक्षर सहित) संलग्न करना एवं निविदा के कभर पर फर्म का पूरा नाम, दूरभाष संख्या, मोबाईल संख्या अंकित करना अनिवार्य है,
8. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित एवं सांख्यांकित होना चाहिए,
9. निविदादाता के पास अपना अत्याधुनिक 04 कलर सेट ऑफसेट मशीन एंव आधुनिक बाईडिंग सिस्टम से सुसज्जित प्रेस पटना में होना चाहिए।
10. जिस निविदादाता का चयन मुद्रण के लिए किया जायेगा, उन्हें उक्त कार्य के लिए कुल व्यय का 5% राशि की बैंक गारंटी जो दिनांक-31.12.2023 तक वैध हो प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम के पक्ष में सभा सचिवालय को जमा करना होगा जो कार्य संतोषप्रद होने पर वापस कर दिया जायेगा।
11. सभी पूर्ण रूप से तैयार बिहार विधान सभा डायरी-2023 की आपूर्ति मुद्रक को दिसम्बर, 2022 के तीसरे सप्ताह तक निश्चित रूप से कर देनी होगी,
12. मुद्रक को डायरी 2023 की Soft Copy MS word एवं PDF में पेन ड्राईव में सभा सचिवालय को उपलब्ध कराना होगा।

13. स्वीकृत नमूना एवं गुणवत्ता के अनुरूप बिहार विधान सभा डायरी-2023 का मुद्रण नहीं होने तथा निर्धारित अवधि के अंदर इसकी आपूर्त्ति नहीं करने की स्थिति में मुद्रक द्वारा जमा की गई जमानत राशि जब्त करने तथा विपत्र से कटौती का अधिकार सभा सचिवालय को होगा,

14. निविदादाता को निविदा के साथ नोटराईज्ड शपथ-पत्र (शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का) संलग्न करना होगा जिसमें यह अंकित होगा कि उनके फर्म/प्रेस को सरकार अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है तथा इससे संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं है ।

15. उपर्युक्त सभी शर्त्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।

16. किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द / अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय को सुरक्षित रहेगा ।

17. निविदाकर्त्ताओं द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि निविदाकार को उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य है ।

11/10/22

(संजय कुमार सिंह)
उप निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।